ज्ञापांक–2636/तक0/2022

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–07वीं जुलाई 2022

सेवा में,

MS PAVITRA PROMOTERS PRIVATE LIMITED,
(DIRECTOR ARNAB CHAKRABORTY),
FLAT NO-403, SABITRI ENCLAVE,
LATMA ROAD, SINGH MORE, HATIA, RANCHI

विषयः– **मौजा–सामलौंग, प्लॉट नं0–25 & 26, खाता नं0–01, वार्ड नं0–N/A, थाना–01, जिला–राँची में निर्मित व्यावसायिक होटल भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार निर्मित व्यावसायिक होटल भवन की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, धुर्वा, राँची के माध्यम से निर्मित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–171 दिनांक–05.07.2022 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में निर्मित व्यावसायिक होटल भवन हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :–

1. निर्मित भवन में अग्निशमन कार्य हेतु 20,000 लीटर क्षमता वाले टेरेस वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. भवन के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी में ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ एक डाउन कमर सिस्टम का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मीटर लम्बा होजरील होज, डिलिवरी आउटलेट तथा दो–दो अदद डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
3. सतही तल पर मुख्य प्रवेश द्वार के पास एक यार्ड हाईड्रैण्ट तथा एक थ्रीवेज फायर सर्विस इनलेट तथा का संस्थापन कराया जाय।
4. पूरे होटल भवन एवं मैरेज हॉल को स्वचालित स्प्रिंकलर विथ अलार्म गौंग से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
5. पूरे होटल भवन को स्मोक डिटेक्शन एवं अलार्म सिस्टम से सुरक्षित किया जाय।
6. 900 Lpm का टेरेस पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
7. पम्पिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
8. इन पम्प को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से भी जोड़कर रखा जाय।
9. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन से हीं कराया जाय।
10. भवन में प्रति 400 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले चार–चार अदद A, B,C, अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
11. सभी इलेक्ट्रिकल उपकरणों को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
12. भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निषमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
13. भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाईंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
14. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
15. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।

16. अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
17. भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
18. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, 2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2022.07.06 10:54:38 +05'30'

(जगजीवन राम)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।